

कार्यालय जिला पंचायत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

E- Mail: zp.drda.gpm@gmail.com,zilapanchayat-gpm@cg.gov.in

// आदेश //

क्रमांक /6102/ पंचा. / 2025-26

गौरेला, दिनांक..... 19/03/2026

श्री उमाशंकर उपाध्याय, सचिव, ग्राम पंचायत तेन्दुमुड़ा, पूर्व सचिव, ग्राम पंचायत गांगपुर, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के द्वारा ग्राम पंचायत गांगपुर, पूटा, टीकरखुर्द एवं आमगांव, जनपद पंचायत गौरेला के 15वें वित्त आयोग मद की राशि आहरण/भुगतान में अनियमितता के संबंध में जिला स्तरीय जांच समिति गठन किया गया। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2025 एवं समस्त अभिलेख/दस्तावेज अनुसार श्री उमाशंकर उपाध्याय द्वारा ग्राम पंचायत पूटा के खाता क्रमांक 20100413068618 में अपना डीएससी उपयोग कर 15 वें वित्त योजना अंतर्गत कुल राशि 2998445/-रु. (अक्षरी-उनतीस लाख अन्तानवे हजार चार सौ पैंतालीस रूपये) का अनियमित भुगतान संबंधित वेंडर को किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत से राशि आहरण किये जाने संबंधी नियम के विपरीत है। श्री उमाशंकर उपाध्याय, सचिव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3(1)(तीन) के विपरीत होने से पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री उमाशंकर उपाध्याय, सचिव, ग्राम पंचायत तेन्दुमुड़ा, पूर्व सचिव, ग्राम पंचायत गांगपुर, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही को एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री उमाशंकर उपाध्याय का मुख्यालय जनपद पंचायत गौरेला निर्धारित किया जाता है तथा श्री उमाशंकर उपाध्याय को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सचिव ग्राम पंचायत तेन्दुमुड़ा का अतिरिक्त प्रभार श्री सतीश यादव, सचिव, ग्राम पंचायत ठेंगाडांड, जनपद पंचायत गौरेला को सौंपा जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही
गौरेला दिनांक 19/03/2026

क्रमांक /6102/ पंचा / 2025-26

कार्यालय जिला पंचायत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

E- Mail: zp.drda.gpm@gmail.com,zilapanchayat-gpm@cg.gov.in

// आदेश //

क्रमांक /6096/ पंचा. / 2025-26

गौरेला, दिनांक... 19/03/2026

श्री भैयालाल करसायल, सचिव ग्राम पंचायत नेवरीनवापारा, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के द्वारा ग्राम पंचायत पूटा के 15वें वित्त आयोग मद की राशि आहरण/भुगतान में अनियमितता के संबंध में जिला स्तरीय जांच समिति गठन किया गया। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2025 एवं समस्त अभिलेख/दस्तावेज अनुसार श्री भैयालाल करसायल द्वारा ग्राम पंचायत पूटा के खाता क्रमांक 20100413068618 में सरपंच बनकर अपने डीएससी का उपयोग कर 15 वें वित्त योजना अंतर्गत दिनांक 26.04.2024 से 06.02.2025 तक कुल 24 बार में राशि 2613200/- (शब्दों में-छब्बीस लाख तेरह हजार दो सौ रु.) का अनियमित भुगतान संबंधित वेंडर को किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत से राशि आहरण किये जाने संबंधी नियम के विपरीत है। श्री भैयालाल करसायल, सचिव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3(1)(तीन) के विपरीत होने से पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री भैयालाल करसायल, सचिव ग्राम पंचायत नेवरीनवापारा, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री भैयालाल करसायल का मुख्यालय जनपद पंचायत गौरेला निर्धारित किया जाता है तथा श्री भैयालाल करसायल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सचिव ग्राम पंचायत नेवरीनवापारा का अतिरिक्त प्रभार श्री सतीश यादव, सचिव, ग्राम पंचायत टेंगाडांड, जनपद पंचायत गौरेला को सौंपा जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही
गौरेला, दिनांक... 19/03/2026

क्रमांक /6097/ पंचा. / 2025-26
गतिनिधि:-

कार्यालय जिला पंचायत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

3

E- Mail: zp.drda.gpm@gmail.com,zilapanchayat-gpm@cg.gov.in

// आदेश //

क्रमांक /6098/ पंचा. / 2025-26

गौरेला, दिनांक..... 19/03/2026

श्री नान्हूदास बघेल, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत ठाडपथरा, वर्तमान पदस्थापना ग्राम पंचायत पण्डरीपानी, जनपद पंचायत गौरेला जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा ग्राम पंचायत खोडरी के 15वें वित्त आयोग मद की राशि आहरण/भुगतान में अनियमितता के संबंध में जिला स्तरीय जांच समिति गठन किया गया। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2025 एवं समस्त अभिलेख/दस्तावेज अनुसार श्री नान्हूदास बघेल द्वारा ग्राम पंचायत खोडरी के खाता क्रमांक 50100413068482 में अपना डीएससी उपयोग कर 15 वें वित्त योजना अंतर्गत कुल राशि 2326700/-रु. (अक्षरी-तेईस लाख छब्बीस हजार सात सौ रूपये) का अनियमित भुगतान संबंधित वेंडर को किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत से राशि आहरण किये जाने संबंधी नियम के विपरीत है। श्री नान्हूदास बघेल, सचिव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3(1)(तीन) के विपरीत होने से पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री नान्हूदास बघेल, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत ठाडपथरा, वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत पण्डरीपानी, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री नान्हूदास बघेल का मुख्यालय जनपद पंचायत गौरेला निर्धारित किया जाता है तथा श्री नान्हूदास बघेल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सचिव ग्राम पंचायत पण्डरीपानी का अतिरिक्त प्रभार श्री शैलेन्द्र आयाम, सचिव, ग्राम पंचायत डाहीबहरा, जनपद पंचायत गौरेला को सौंपा जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही
गौरेला, दिनांक..... 19/03/2026

क्रमांक /6099/ पंचा. / 2025-26

सचिव

कार्यालय जिला पंचायत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

E- Mail: zp.drda.gpm@gmail.com,zilapanchayat-gpm@cg.gov.in

// आदेश //

क्रमांक /6104/ पंचा. / 2025-26

गौरेला, दिनांक.....19/03/2026

श्री ओंकार भानू, सचिव ग्राम पंचायत आमाडोब, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा ग्राम पंचायत आमगांव के 15वें वित्त आयोग मद की राशि आहरण/भुगतान में अनियमितता के संबंध में जिला स्तरीय जांच समिति गठन किया गया। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2025 एवं समस्त अभिलेख/दस्तावेज अनुसार श्री ओंकार भानू, द्वारा ग्राम पंचायत आमगांव के खाता क्रमांक 50100413068529 में अपना डीएससी उपयोग कर 15 वें वित्त योजना अंतर्गत कुल राशि 1091400/-रु. (अक्षरी-दस लाख इक्यानवें हजार चार सौ रूपये) का अनियमित भुगतान संबंधित वेंडर को किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत से राशि आहरण किये जाने संबंधी नियम के विपरीत है। श्री ओंकार भानू, सचिव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3(1)(तीन) के विपरीत होने से पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री ओंकार भानू, सचिव ग्राम पंचायत आमाडोब, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री ओंकार भानू का मुख्यालय जनपद पंचायत गौरेला निर्धारित किया जाता है तथा ओंकार भानू को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सचिव ग्राम पंचायत आमाडोब का अतिरिक्त प्रभार श्री बालकरण, सचिव, ग्राम पंचायत केंवची, जनपद पंचायत गौरेला को सौंपा जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही
गौरेला, दिनांक.....19/03/2026

क्रमांक /6105/ पंचा. / 2025-26

प्रतिलिपि:-

कार्यालय जिला पंचायत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

E- Mail: zp.drda.gpm@gmail.com,zilapanchayat-gpm@cg.gov.in

// आदेश //

क्रमांक / 6108 / पंचा. / 2025-26

गौरेला, दिनांक... 19/03/2026 ✓

श्री रतन सिंह, सचिव ग्राम पंचायत पूटा जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के द्वारा ग्राम पंचायत पूटा में पदस्थ रहते हुए ग्राम पंचायत पण्डरीपानी के 15वें वित्त आयोग मद की राशि आहरण/भुगतान में अनियमितता के संबंध में जिला स्तरीय जांच समिति गठन किया गया। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2025 एवं समस्त अभिलेख/दस्तावेज अनुसार श्री रतन सिंह द्वारा ग्राम पंचायत पण्डरीपानी के खाता क्रमांक 50100413069930 में अपना डीएससी उपयोग कर 15 वें वित्त योजना अंतर्गत दिनांक 09.05.2024 से 25.06.2024 तक कुल 07 बार में राशि 1072378/- (शब्दों में-दस लाख बहत्तर हजार तीन सौ अठत्तर-रु.) का अनियमित भुगतान संबंधित वेंडर को किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत से राशि आहरण किये जाने संबंधी नियम के विपरीत है। श्री रतन सिंह, सचिव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3(1)(तीन) के विपरीत होने से पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री रतन सिंह, सचिव ग्राम पंचायत पूटा, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री रतन सिंह का मुख्यालय जनपद पंचायत गौरेला निर्धारित किया जाता है तथा श्री रतन सिंह को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सचिव ग्राम पंचायत पूटा का अतिरिक्त प्रभार सुश्री गीता वाकरे, सचिव, ग्राम पंचायत बस्ती, जनपद पंचायत गौरेला को सौंपा जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

क्रमांक / 6109 / पंचा. / 2025-26
प्रतिलिपि:-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही
गौरेला, दिनांक... 19/03/2026

कार्यालय जिला पंचायत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

E- Mail: zp.drda.gpm@gmail.com,zilapanchayat-gpm@cg.gov.in

// आदेश //

क्रमांक / 6100 / पंचा. / 2025-26

गौरेला, दिनांक... 19/03/2026

श्री राधेश्याम मरावी, सचिव, ग्राम पंचायत आमगांव, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के द्वारा ग्राम पंचायत खोडरी, जनपद पंचायत गौरेला के 15वें वित्त आयोग मद की राशि आहरण/भुगतान में अनियमितता के संबंध में जिला स्तरीय जांच समिति गठन किया गया। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2025 एवं समस्त अभिलेख/दस्तावेज अनुसार श्री राधेश्याम मरावी द्वारा ग्राम पंचायत खोडरी के खाता क्रमांक 50100413068529 में अपना डीएससी उपयोग कर 15 वें वित्त योजना अंतर्गत कुल राशि 640182/-रु. (अक्षरी-छः लाख चालीस हजार एक सौ बयासी रूपये) का अनियमित भुगतान संबंधित वेंडर को किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत से राशि आहरण किये जाने संबंधी नियम के विपरीत है। श्री राधेश्याम मरावी, सचिव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3(1)(तीन) के विपरीत होने से पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राधेश्याम मरावी, सचिव, ग्राम पंचायत आमगांव, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही को एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री राधेश्याम मरावी का मुख्यालय जनपद पंचायत गौरेला निर्धारित किया जाता है तथा श्री राधेश्याम मरावी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सचिव ग्राम पंचायत आमगांव का अतिरिक्त प्रभार श्री विजय बहादुर, सचिव, ग्राम पंचायत लमना, जनपद पंचायत गौरेला को सौंपा जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही
गौरेला, दिनांक... 19/03/2026

क्रमांक / 6101 / पंचा. / 2025-26

कार्यालय जिला पंचायत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

E- Mail: zp.drda.gpm@gmail.com,zilapanchayat-gpm@cg.gov.in

7

// आदेश //

क्रमांक / 6106 / पंचा. / 2025-26

गौरेला, दिनांक 19/03/2026

श्री राजकुमार शर्मा, सचिव ग्राम पंचायत साल्हेघोरी, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा ग्राम पंचायत साल्हेघोरी के 15वें वित्त आयोग मद की राशि आहरण / भुगतान में अनियमितता के संबंध में जिला स्तरीय जांच समिति गठन किया गया। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2025 एवं समस्त अभिलेख/दस्तावेज अनुसार श्री राजकुमार शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत साल्हेघोरी के खाता क्रमांक 50100413068325 में अपना डीएससी उपयोग कर कुल राशि 669000/-रु. (अक्षरी-छः लाख उनहत्तर हजार रुपये) रु. का अनियमित भुगतान संबंधित वेंडर को किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत से राशि आहरण किये जाने संबंधी नियम के विपरित है। श्री राजकुमार शर्मा, सचिव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3(1)(तीन) के विपरित होने से पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राजकुमार शर्मा, सचिव ग्राम पंचायत साल्हेघोरी, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री राजकुमार शर्मा का मुख्यालय जनपद पंचायत गौरेला निर्धारित किया जाता है तथा श्री राजकुमार शर्मा को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सचिव ग्राम पंचायत साल्हेघोरी का अतिरिक्त प्रभार श्री केदार सिंह ध्रुवे, सचिव, ग्राम पंचायत अंधियारखोह, जनपद पंचायत गौरेला को सौंपा जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही

गौरेला, दिनांक 19/03/2026

क्रमांक / 6107 / पंचा. / 2025-26



कार्यालय जिला पंचायत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

E- Mail: zp.drda.gpm@gmail.com,zilapanchayat-gpm@cg.gov.in

// आदेश //

क्रमांक / 6094/पंचा./2025-26

गौरेला, दिनांक..... 19/03/2026

श्री त्रिलोक सिंह, सचिव ग्राम पंचायत हर्राटोला, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा ग्राम पंचायत पण्डरीपानी के 15वें वित्त आयोग मद की राशि आहरण / भुगतान में अनियमितता के संबंध में जिला स्तरीय जांच समिति गठन किया गया। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2025 एवं समस्त अभिलेख/दस्तावेज अनुसार श्री त्रिलोक सिंह द्वारा ग्राम पंचायत पण्डरीपानी में अपना डीएससी उपयोग कर कुल राशि 547700/- (शब्दों में-पांच लाख सैतालिस हजार सात सौ रूपये) रु. का अनियमित भुगतान संबंधित वेंडर को किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत से राशि आहरण किये जाने संबंधी नियम के विपरित है। श्री त्रिलोक सिंह, सचिव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3(1)(तीन) के विपरीत होने से पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री त्रिलोक सिंह, सचिव ग्राम पंचायत हर्राटोला, जनपद पंचायत गौरेला, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री त्रिलोक सिंह का मुख्यालय जनपद पंचायत गौरेला निर्धारित किया जाता है तथा श्री त्रिलोक सिंह को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सचिव ग्राम पंचायत हर्राटोला का अतिरिक्त प्रभार श्रीमति नवीनता मराबी, सचिव, ग्राम पंचायत दौंजरा, जनपद पंचायत गौरेला को सौंपा जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही

गौरेला, दिनांक..... 19/03/2026

क्रमांक / 6095/पंचा / 2025-26

